227

-1-

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

1. सूरतदीन तनय मल्थुवा आदिवासी (गौड़)
   निवासी ग्राम विक्रमपुर तह. अमानगंज जिला पन्ना
2. श्रीमति नीतासिंह पत्नि सत्येन्द्र बहादुर सिंह
   निवासी ग्राम विक्रमपुर तह. अमानगंज जिला पन्ना

.............निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर पन्ना जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्र 10/अ–21/08–09 पारित आदेश दिनांक 04/08/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मनौर स्थित भूमि खसरा क्र 11/2, 11/3, 13/2, 13/3, 13/4, एंव 13/6 रकवा क्रमशः 2.00, 1.100, 1.431, 2.00, 2.00, 2.00 हे कुल किता 6 कुल रकवा 10.531 हे. भूमि निगरानीकर्ता क्र 1 की स्वअर्जित भूमि है तथा वर्तमान में राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्ता क्र 1 के नाम पर दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से रकवा 8.531 हे. को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु निगरानीकर्ता क्र 1 द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर पन्ना द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, कलेक्टर पन्ना द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(9425171223)

XXXIX(a)-BR(H)-11

-2

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3625/16 जिला .....पन्ना.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.10.16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर पन्ना जिला पन्ना म0प्र0 के प्र.क्र. 10/अ–21/वर्ष 08–09 में पारित आदेश दिनांक 04/08/16 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 3– आवेदकगण के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल. जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 4– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक क्र 1 की संयुक्त खाते की भूमि ग्राम विक्रमपुर तह. अमानगंज जिला पन्ना में खसरा क्र 185 रकवा 0.72 हे स्थित है इसी प्रकार उसकी स्वअर्जित भूमि ग्राम मनौर जिला पन्ना में खसरा क्र 11/2, 11/3, 13/2, 13/3, 13/4, एंव 13/6 रकवा क्रमशः 2.000, 1.100, 1.431, 2.00, 2.00, 2.00 हे कुल रकवा 10.531 भी स्थित है। भूमि आवेदक क्र 1 को बंटन में प्राप्त भूमि नहीं है तथा वर्तमान में आवेदक क्र 1 के नाम पर दर्ज भूमि है। आवेदक क्र 1 द्वारा ग्राम मनौर स्थित उक्त प्रश्नाधीन भूमि में से 8.531 हे भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर कलेक्टर पन्ना द्वारा अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी पन्ना के माध्यम से तहसीलदार पन्ना को प्रतिवेदन प्रेषित किए जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया तथा तहसीलदार पन्ना द्वारा दिनांक 22/5/12 को अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के माध्यम से कलेक्टर पन्ना को प्रेषित किए जाने के उपरांत भी कलेक्टर पन्ना द्वारा आवेदक क्र 1 को प्रश्नाधीन भूमि आवेदक क्र 2 को विक्रय किए जाने की अनुमति प्रदाय नहीं की गयी है।उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक क्र 1 द्वारा जो ग्राम मनौर स्थित प्रश्नाधीन भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक क्र 1 भूमि को विक्रय कर अपने निवास स्थान ग्राम विक्रमपुर में अन्य कृषि योग्य भूमि क्रय करेगा। ग्राम विक्रमपुर व ग्राम मनौर की दूरी अधिक होने के कारण आवेदक क्र 1 सही तरीके से कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है जिससे उसे अत्याधिक आर्थिक क्षति हो रही है। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक क्र 1 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने के उपरांत उसके पास ग्राम मनौर व विक्रमपुर में अन्य कृषि योग्य भूमि है जिस कारण से वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आयेगा। साथ ही साथ आवेदकगण का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही या उससे ज्यादा भूमि क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया है । 5– आवेदकगण के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक क्र 1 द्वारा आवेदक क्र 2 को विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है, आवेदक क्र 1 को भूमि विक्रय की अनुमति की आवश्यकता केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने के कारण हुई है। भूमि विक्रय के उपरांत भी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदक क्र 1 के पास ग्राम विक्रमपुर एंव मनौर में 5 एकड से अधिक अन्य कृषि योग्य भूमि है तथा आवेदक क्र 1 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक क्र 1 प्रश्नाधीन भूमि को आवेदक क्र 2 को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।	
	6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर पन्ना का आदेश दिनांक 04/08/16 निरस्त किया जाता है तथा आवेदक क्र 1 सूरतदीन तनय मल्थुवा आदिवासी को ग्राम मनौर तह. व जिला पन्ना में स्थित खसरा क्र 11/2, 11/3, 13/2, 13/3, एंव 13/6 रकवा क्रमशः 2.000, 1.100, 1.431, 2.00, 2.00 हे कुल रकवा 8.531 हे. को आवेदक क्र 2 श्रीमति नीतासिंह पत्नि सत्येन्द्र बहादुर सिंह को विक्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विकेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें ।	
	सदस्य	